# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क/वाचक–1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

प्रति

कलेक्टर
(भू–अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात–1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. ज्रेकैला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2– उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन **"आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि पहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है"** के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र– 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

25.2.18
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

## –:: ईश्तहार::–

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोडा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईश्तहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक–पृथक) में ईश्तहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वें अपना आपत्ति दिनांक 08 **मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17.4.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

# भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संर्दभः– आपका आदेश कमांक 110805/भू–अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र कमांक क/वाचक–1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलंन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

## ग्राम मौहापाली, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपकम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपकम की एक

इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है ( अनु. क. ..... ) ।

- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 13 का कुल रकबा 2.38 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 11 व्यक्ति प्रभावित होगें जिसमें 11 अनुसूचित जन जाति है। तथा 3 लघु 5 सीमांत एवं 3 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है ( अनु. क. ..... ) । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति का पुरी जमीन नहीं जा रही है।

- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस – पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है ( अनु. क. ..... ) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरुप है।

- समिति कें संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।

- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुध्द कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है ( अनु. क. ..... ) ।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप निर्धारित प्रकिया का पालन किया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपकम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता

से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपकम द्वारा निश्चिय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्यां केवल 11 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम मौहापाली की खसरा नं 252/4क, 252/4ख, 295/7, 296/1ग, 295/1ख, 296/2, 257/1, 296/5, 294, 86/1, 250/4, 251/3, 295/3, रकबा कमशः 0.32, 0.30, 0.15, 0.03, 0.05, 0.20, 0.05, 0.14, 0.03, 0.85, 0.05, 0.15, 0.06 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनिकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

ग्राम – गौहापाली

25.04.16

विषय :- एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा भू अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 4 अधिसूचित नियम के अंतर्गत ग्राम – गौहापाली, तहसील – तमनार, जि. रायगढ़ की जनसुनवाई

(1) श्री गिरधारीलाल साहू द्वारा रिपोर्ट कोर्ट के जो जमीन जा रहा है उसी जमीन का कुछ जमीन बच जा रहा है उसके भी मुआवजा राशि दिये जाने का प्रस्ताव रखा।

(2) आशा बाई गौहापाली द्वारा अपने बच्चे के मुआवजा की सही तारीख के बारे में पूछा गया किसानों द्वारा कोई भी जवाब नहीं मिला।

(3) श्री मेहतीकुमार द्वारा अपने जमीन की ख.नं. 861/1 का बीच में जा रहा है और बाकी किनारा बच रहा है उसका मुआवजा प्राप्त हो।

(4) श्री मनीकुमार / पेहलाद के द्वारा अपने जमीन के 6 डिसमिल जमीन का मुआवजा दिया जा रहा जो कि 15.20 डिसमिल है जो कि पूरा का मुआवजा मिलना चाहिए।

(5) श्री कमल प्रसाद पैकरा द्वारा अपना भी जमीन जा रहा है लेकिन उसको अब तक मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ है जो कि मिलना चाहिए।

(6) श्रीमती / किसान के द्वारा अपने आवेदन में रेल कोरिडोर को रद्द किया है जो कि उनके पास लगा हुआ है उसका भी मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

माननीय तहसीलदार पटेल जी द्वारा कहा गया कि आपके जमीन का नक्शा का मौके पर पंचनामा किया जायेगा उसके बाद मुआवजा दिया जायेगा एवं अलग-अलग ग्राम के नाकुल तरह अनुसार मुआवजा दिया जाने की जानकारी दिया गया और रेल कोरिडोर के बीच जमीन के बीचों बीच रह रहे हैं और कृषि योग्य भूमि नहीं बच रहा है तो उसका भी मुआवजा दिये जाने की जानकारी किसानों को अवगत कराया गया प्रश्न किया गया।

(7) श्रीमती सुवाना द्वारा प्रतिबंध वाले मुआवजा के बारे में भी प्रश्न किया गया। जिसमें NTPC अधिकारियों द्वारा 1407000/हेक्टेयर का रहा है।

(8) NTPC अधिकारियों द्वारा पेड़ पूरा का भी मुआवजा दिया जानकारी दिया गया।

(9) जैसा दावित द्वारा भी कोरबा जमीन वाली मुआवजा हेतु कहा गया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा जुर्माना व पेड़ किसानों को जानकारी दिया गया।

(10) NTPC अधिकारियों द्वारा अपने जमीन के मुआवजे पर कुछ लापरवाही बरती गई और ग्रामीणों को मौका पर कुछ भी नहीं दिया गया।

(11) ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पानी व्यवस्था के आवेदन किया गया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा तथा ग्राम पंचायत के सरपंच व मु.का.पा. अधिकारी व.पं. तमार के आवाज उठाने का निर्देश दिया गया।

(12) मेरी कुंजराम वल्लिया द्वारा जमीन की कोई मुआवजा राशि के बारे में जानकारी देने के अधीन कि गई जिसमें NTPC अधिकारियों द्वारा 5 लाख 70 हजार राशि दिये जाने प्रतिवेदन किया गया है। और कुंजराम वल्लिया द्वारा जमीन रजिस्ट्री होने का अधीन की गई जिसमें पटेल जी द्वारा कहा गया कि मुआवजा बैंक में दिया जाने जानकारी दिया गया। और कुंजराम द्वारा कहा गया कि उचित मुआवजा देने जाने अधीन करते रहे।

(13) नीमदीन ईजोरी वाले द्वारा अपने जमीन जाने पर कहा गया गया जो पटेल जी द्वारा कहा कि कुंजराम का 86 डिसमिल जमीन 4 लाख 11 हजार राशि दिये जाने का जानकारी दिया गया।

(14) मान. उपाध्यक्ष व.पं. अचाड़ा द्वारा ग्रामीणों की जमीन खरीदा किये जाने का जानकारी दिया गांव में किसी के जमीन के बीच बीच जा रहा है और कृषि योग्य भी बच रहा है तो उसका भी मुआवजा दिया जाने एवं निकाले

श्री. [illegible] यांना [illegible] बोलावून घेतले [illegible]
[illegible] यांनी [illegible] NTPC
अधिकाऱ्यांना [illegible] श्री. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] NTPC अधिकाऱ्यांना [illegible]
श्री. [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] उ. महापालिका
[illegible]

पुनर्वास

सामाजिक समाधान जनसुनवाई, ग्राम - मोंघवार्ड

उपस्थिति सूची

दिनांक - 28

| क्रमांक | नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 1 | चुनी राम पैकरा | चुनीराम |
| 2 | जनार राठिया | [illegible] |
| 3 | दया राम राठिय | दयाराम |
| 4 | घेन्सीराम | घन्सीराम |
| 5 | रतन साय | रतनसाय |
| 6 | उमेशराठिया | उमेश |
| 7 | ऋषीकुमार | ऋषिकुमार |
| 8 | सुशील कुमार | सुशील |
| 9 | चक्रधर | चक्रधर |
| 10 | मोतिराम | मोतीराम |
| 11 | कमल साय | कमल प्रसाद |
| 12 | संन्तुराम | सन्तुराम |
| 13 | शिव कुमार | शिवकुमार |
| 14 | डेण्डा राम | डेंडारम |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | पुनीराम | पुनीराम |
| 16 | रघुराम | रघुराम |
| 17 | गंगा प्रसाद | गंगा प्रसाद |
| 18 | सुखराम | सुखराम |
| 19 | कार्तिकराम | कार्तिकराम |
| 20 | नंदकुमार | नंदकुमार |
| 21 | सागर | सागर |
| 22 | कार्तिकराम | |
| 23 | शंकर राम | शंकरराम |
| 24 | जीवन | जीवन |
| 25 | मेहतर राम | मेहतर |
| 26 | मेहतर | |
| 27 | उधवसाहू | उधवसाहू |
| 28 | कामता प्रसाद पैकरा | |
| 29 | सुकान्ती पैकरा | सुकान्ती |
| 30 | बीन्दा बाई | |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | धनमतिबाई | धनमती |
| 31 | सोगना बाई | सोगना बाई |
| 32 | सीरमतीबाई | सिरमती |
| 33 | मंगली बाई | मंगली |
| 34 | बाल कुमारी | बालकुमारी |
| 35 | साधमति | |
| 36 | बोराजी बाई | |
| 37 | भगवति सतकुंवर | |
| 38 | गंगामोति | गंगामोति |
| 39 | सामरमति | |
| 40 | सुमित्रा | सुमित्रा |
| 41 | ईन्जोरी | ईन्जोरि |
| 42 | कुमारी | कुमारी बाई |
| 43 | पंचानन | |
| 44 | जगन्नाथ | Jagannath |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | महेशराम कोटवार | महेशराम पटेल |
| 46 | रामहास नाग पटेवारी | |
| 47 | अमरसत्य | अमरसत्य |
| 48 | बी.एल. चौधरी नायब | |
| 49 | संजय अग्रवाल उपाध्यक्ष जनपंचायत | Agrawal |
| 50 | दिनेश पटेल तहसीलदार, लोरमी | |
| 51 | आर.एल. शर्मा अति. जि. कलेक्टर परि. सर्वेक्षण एवं निरीक्षक राजस्व | 28/04/16 |
| 52 | श्याम कुमार राठिया | |
| 53 | जे.पी. खुटे PWD Chhuchh. | 28/04/16 |
| 54 | सचिव ग्रा. पंचा. मोहभाठी | 28.04.16 |
| 55 | | |
| 56 | | |
| 57 | | |
| 58 | | |
| 59 | | |

# प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम मौहापाली प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

| कमांक | खातेदार का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा हेक्टेयर | रकबा अर्जित (हेक्टेयर) | रकबा अर्जित (ए0) | उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू–खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर) | किस्म जमीन मौके के अनुसार | उगाई गई पिछली फसल | कृषक का प्रकार | जाति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सागरमती बेवा जयलाल मु0 मनकुमारी बे. जयलाल गायत्री, चित्रसेनी, उमेशकुमार पिता जयलाल जाति कंवर | 252/4 क | 0.130 | 0.129 | 0.32 | 2.595 | असिंचित | उड़द | AM | ST |
| 2 | श्यामकुमार व0 जयलाल जाति कंवर | 252/4 ख | 0.121 | 0.121 | 0.30 | 0.121 | असिंचित | उड़द | S | ST |
| 3 | गुरवारी, गुरुदाई, मोजकुमारी पि0 डोकरी, बुधयारीन बेवा डोकरी जाति कंवर | 295/7 | 0.061 | 0.061 | 0.15 | 0.861 | असिंचित | धान | S | ST |
| 4 | दिलेश्वर, जागेश्वर, अशोक कुमार पिता मोतीराम, मु0 बासमती बे0 मोतीराम जाति कंवर | 295/1 ग | 0.128 | 0.012 | 0.03 | 1.808 | असिंचित | धान | L | ST |
| 5 | पतिराम पिता मकुन्दराम जाति कंवर | 295/1 ख | 0.127 | 0.020 | 0.05 | 1.057 | असिंचित | धान | L | ST |
| 6 | जनार व. कपाट जाति कंवर | 296/2 | 0.101 | 0.081 | 0.20 | 2.513 | असिंचित | धान | AM | ST |
| | | 257/1 | 0.789 | 0.020 | 0.05 | | असिंचित | धान | | |
| 7 | निरंजन पिता अमरसाय जाति कंवर | 296/5 | 0.368 | 0.057 | 0.14 | 1.664 | असिंचित | धान | L | ST |
| 8 | अमरसाय वो0 प्रेमसाय वो0 नंबरसाय पिता तिलकराम जाति कंवर | 294 | 0.291 | 0.012 | 0.03 | 14.679 | असिंचित | धान | O | ST |
| 9 | रामरतन वो0 बाबूलाल पिव सोनसाय, सकूल व0 बंधन | 86/1 | 0.421 | 0.340 | 0.85 | 0.421 | असिंचित | धान | S | ST |
| 10 | चकधर व0 पूरन | 250/4 | 0.081 | 0.020 | 0.05 | 0.081 | असिंचित | धान | S | ST |
| | | 251/3 | 0.279 | 0.060 | 0.15 | 0.279 | असिंचित | धान | | ST |
| 11 | महेतर पि0 सागर, दर्शन व0 आनंद, भगवती, करमवती पि0 बुड़गा | 295/3 | 0.243 | 0.024 | 0.06 | 0.243 | असिंचित | धान | S | ST |
| **योग** | **11** | **13** | **3.140** | **0.957** | **2.38** | **26.322** | | | | |

Dated
05/04/2016

प्रति,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा

सन्दर्भ: माननीय जिला अधिकारी के पत्र क्रमांक 11805/भूअर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/2016

विषय:- भूअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत ग्राम मोहापाली तहसील लमनार जिला रायगढ़ की रिपोर्ट

उपरोक्त सन्दर्भ के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा की उपस्थिति मे विशेषज्ञ समूह के दल द्वारा दिनांक 28/12/2016 को घरघोड़ा मे उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे बैठक आयोजित की गयी बैठक मे यह विदित हुआ कि ग्राम मोहापाली की निजी भूमि का अधिग्रहण पुराने अधिनियम के आधार पर हो चुका है अज्ञात कारणों से कुछ निजी भूमि का अधिग्रहण शेष रह गया है जो कि पुनः प्रस्तावित है और इस भूमि का अधिग्रहण परियोजना को पूर्ण करने के लिए अति आवश्यक है पुनः प्रस्तावित भूमि का रकबा 1.27 एकड़ है और प्रस्तावित रेल लाइन की लम्बाई 1.460 कि.मी. है।

प्रस्तावित भूमि का भूअर्जन रेलवे लाइन के मापदण्ड के आधार पर किया गया है जिसमे दोहरी लाइन का निर्माण लाइन के फारमेशन की ऊंचाई एवम फारमेशन के ढलान तथा भविष्य मे दिन प्रतिदिन ट्रैक की मरम्मत के लिए आवा-जाही के लिए उपयोग मे आने वाली भूमि तथा पानी निकाश के लिए नाली का भी ध्यान रख कर किया गया है।

अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम मोहापाली मे भूअर्जन रेलवे ट्रैक के मापदण्डों के आधार पर किया गया है अनावश्यक भूमि आवंटित नहीं की गयी है।

हरीलाल सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता (निर्माण) द.पू.म.रे.
रेलवे बिलासपुर

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का सामाजिक समाघात निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे।

| नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 → राधेश्याम [illegible] - | 28/1/17 |
| 2. — योगेश शर्मा - | |
| (3) Harlal - | 28/1/17 |
| | 28/1/17 → 8109188088 |
| (4) Dixit | → 9425235366 |
| (5) Sudhir V. Dandekar | 28/1/2017 → 9826370111 |
| (6) S. JAYAVardhan | 28.1.17 |
| (7) [illegible] | |
| (8) राधेश्याम राठिया | |
| (9) C.M. Naik (GM.TL) | 28-01-17 |
| (10) N.M Swen, Sr. Mgr, Rem | 28.01.17 |